न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 17/2021
रजिस्ट्रेशन नं. :2021/00019

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा हाल उदयपुर	बनाम	अभियुक्त :– श्री अजीत कुमार नायक पुत्र श्री आनंद कुमार नायक मैसर्स फ्रेण्डस ज्युस एण्ड आईसक्रीम पार्लर, शॉप नं.10, राधा कृष्ण कॉम्प्लेक्स डूंगरपुर रोड बॉसवाडा, निवासी 4 बी 10 माही सरोवर नगर, पुष्पा नगर के पास, बॉसवाडा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 28.07.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री अशोक कुमार गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक 31–03–2021 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 21–10–2020 को 1.30 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु मैसर्स फ्रेण्डस ज्युस एण्ड आईसक्रीम पार्लर, शॉप नं.10, राधा कृष्ण कॉम्प्लेक्स डूंगरपुर रोड बॉसवाडा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री अजीत कुमार नायक पुत्र श्री आनंद कुमार नायक उपस्थित थे। निरीक्षण करने पर विक्रेता की दुकान पर एक फ्रिजर में गते के एक डिब्बे में करीब 1.5 कि0ग्रा0 आइसक्रीम Chocolate chips (ल्यूज) आम जनता को विक्रय हेतु पाया गया। इसमें सब स्टेण्डर्ड, अनसेफ का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए आम जनता को बिक्री हेतु रखे करीब 1.5 कि0ग्रा0 आइसक्रीम Chocolate chips (ल्यूज) मे से 1200 ग्राम वास्ते नगुना जॉच हेतु साफ, सुखी एवं खाली स्टील की भगौनी में खरीदा तथा इनकी कीमत 200 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। वारते निरीक्षण खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन–2020 [illegible] विक्रेता ने खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन [illegible] हेतु खरीदशुदा 1200 ग्राम आइसक्रीम Chocolate chips [illegible] व खाली कॉच की बोतलों में बराबर–बराबर (प्रत्येक मे करीब 300 ग्राम) भ[illegible] फार्मेलीन की 36 बूंद [illegible] में

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.07.30 11:06:52 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला [illegible])
बांसवाड़ा [illegible]

Scanned with CamScanner

डालकर जार का मुह ढक्कन की सहायता से कसकर एयर टाईड बन्द किया। उक्त चार नमुना भागो में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2020/239 दिनांक 06.11.2020 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 201 दिनांक 01.11.2020 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **आइसक्रीम Chocolate chips** (ल्यूज) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाये जाने से विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 01–04–2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 28.07.2021 को अभियुक्त **श्री अजीत कुमार नायक पुत्र श्री आनंद कुमार नायक** ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2020/239 दिनांक 06.11.2020 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 201 दिनांक 01.11.2020 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया आइसक्रीम Chocolate chips (ल्यूज) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.07.30 11:06:52 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड किया गया **आइसक्रीम Chocolate chips** (ल्यूज) विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन किया है आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **श्री अजीत कुमार नायक पुत्र श्री आनंद कुमार नायक मैसर्स फ्रेण्डस ज्युस एण्ड आईसक्रीम पार्लर, शॉप नं.10, राधा कृष्ण कॉम्प्लेक्स डूंगरपुर रोड बॉसवाडा** को रूपये 15000/— (अक्षरे रू. पन्द्रह हजार) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04—लोक स्वास्थ्य, 800—अन्य प्राप्तियां, (03)—खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा—पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2021 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति० जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.07.30 11:06:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner